2020/00263

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट
श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पुखराज जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली जिला पाली(राज.)		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 7A वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.06.2020	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना शिवगज के सी. आर. नं. 57 दिनांक 06.03.2020 में दिनॉक 26.11.2018 को उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेम्पो नम्बर आजे 22 पीए 3566 पकडा गया हैं जिसमें 475 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही श्री अजय कुमार ओझा को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया परिवाद दिनांक 08.06.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 06.03.2020 को वक्त 10.15 ए.एम. पर सउनिपु श्री बाबूलाल कानि. चनणाराम नम्बर 218 पुलिस थाना शिवगज ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि छैला गुजर हाईवे होटल पालडी एम हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है जहां होटल के बाहर खाली जगह पर एक टेम्पू चालक अपने टेम्पू में डीजल चोरी कर परिवहन कर रहा है चोरी किया हुआ डीजल कम दाम में खरीद कर रीको एरिया शिवगंज की तरफ आ रहा है नाका बंदी पर उक्त टेम्पू आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकवा कर चैक किया तो उसमें 475 लीटर डीजल 2 ड्रम में एवं 2 जरीकन में डीजल भरा हुआ पाया गया । उक्त डीजल को अवैद्य रूप से खरीद कर संचय कर [illegible] को मुनाफा कमाने हेतु उच्च दामों में बेचने [illegible] रहा है। श्री अचलाराम देवासी [illegible] पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही जो वाहन का चालक है [illegible] पूछने पर बताया कि उसनें डीजल क्रय कर लाया है। पूछताछ करने पर परमिट या बिल होना नहीं बताया है।	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मोकै पर उपस्थित वाहन चालक के समक्ष वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 2 ड्रमो में 200–200 लीटर एवं 2 जरीकन में 40 एवं 35 लीटर डीजल कुल 475 लीटर डीजल मय वाहन के कब्जे पुलिस लिया गया। जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 3/7 का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 dh SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार व सरकार पक्ष की ओर से श्री अजय कुमार ओझा अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री अचलाराम देवासी हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर आ रहा था जिसके पास में बिल वगैरह थे पुलिस द्वारा अवैध रूप से उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 475 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है। डीजल एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल एवं वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :–

Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker under open place at police station held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः डीजल एवं वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

श्री अजय कुमार ओझा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना शिवगज के मुकदमा संख्या 57 दिनांक 06.03.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टेम्पू नम्बर वाहन संख्या आर.जे. 22 पीए 3566 में डीजल 475 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है अतः वाहन एवं डीजल को उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगजके एफ आई आर कमांक 57 दिनांक 06.03.2020 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्येपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचता हूँ कि पुलिस द्वारा टेम्पो नम्बर आजे 22 पीए 3566 में 475 लीटर डीजल परिवहन करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है । डीजल को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना स्वभाविक है । ऐसी स्थिति मे डीजल के सम्बन्ध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नहीं पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है । उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrol products No useful purpose will be served by keeping the tanker lying under open place in police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:12 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 1,50,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते हैं। वाहन में पाये गये डीजल एवं ड्रम में भरे हुए डीजल एवं जरीकन में भरा डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु है, जिसका अन्तरिम निस्तारण करना आवश्यक है ।

अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 475 लीटर डीजल जो टेम्पू वाहन संख्या आरजे 22 पीए 3566 एवं 2 ड्रम में एवं 2 जरीकन में भरा हुआ 475 लीटर डीजल है को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करावे । 2 ड्रम में एवं 2 जरीकन , को नियमानुसार मुकदमे के निस्तारण तक बतौर साक्ष्य सबूत पुलिस थाना शिवगंज में रखे जावें।

साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे एवं केस डायरी के अवलोकन से एवं परिवाद के अवलोकन से पाया जाता है कि वाहन मालिक एवं डीजल मालिक को पक्षकार नही बनानें के लिए पुलिस अधीक्षक सिरोही के मार्फत अपना स्पष्टीकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2020 से पूर्व पेश कर संशोधित अनवान/इस्तगासा प्रस्तुत करे ।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके पंजीकृत स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज को भिजवाई जावे एवं कुल डीजल 475 लीटर को अंतरिम निस्तारण कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करा कर चालान की प्रति तारीख पेशी दिनांक 07.07.2020 से पूर्व प्रस्तुत करने हेतु भिजवाई जावें । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम ... पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

माफिक आदेश प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पुखराज जाति मीणा आयु वयस्क निवासी रघुनाथ पुरा तहसील बाली जिला पाली (राज.) द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । टेम्पू वाहन नम्बर आरजे 22 पीए 3566 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 1,50000/– (अक्षरे रू. एक लाख पचास हजार) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है एवं टेम्पू वाहन संख्या आरजे 22 पीए 3566 का सुपुर्दगीनामा श्री पकाराम उर्फ पुखराज जाति मीणा निवासी रघुनाथ पुरा द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । टेम्पू वाहन संख्या आरजे 22 पीए 3566 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 1,50000/– अक्षरे रू. एक लाख पचास हजार) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज वाहन के पंजीकृत स्वामी को वाहन सुपर्द कर रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश करें। पत्रावली मूल प्रकरण संख्या 7/2020 के साथ नत्थी होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

क्रमांक : कोर्ट/2020/ 142-43 दिनांक : 10.06.2020
प्रतिलिपि पालनार्थ :–
1. जिला रसद अधिकारी, सिरोही ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम । शिवगंज

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner